

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1548 /सो.आ.नि.-3/464(II)/23  
दिनांक: 19 मार्च, 2024

प्रेषक,

निदेशक,  
सोशल आडिट,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।


विषय: दिनांक 16 मार्च, 2024 को चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सोशल आडिट की कार्यवाही स्थगित किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए दिनांक 16 मार्च, 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत सोशल आडिट कैलेंडर में उल्लिखित शेष ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट की प्रक्रिया स्थगित रखने का कष्ट करें। आदर्श आचार संहिता की समाप्ति पर सोशल आडिट की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने हेतु अवगत कराया जाएगा।

भवदीय,

  
18/3/24  
(शरद कुमार सिंह)  
निदेशक।

पत्रांक:- /सो०आ०नि०- 3/464(II)/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-7), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, मनरेगा सेल, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।

(शरद कुमार सिंह)  
निदेशक।